

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म व
में ज

19

वकील प्राची उपोच्यत। प्रति पक्षीगण
के जोरिस बाद तामील पत्रावली
शा मिल है। प्रतिपक्षीपों को कल-हमकर
काम लगाई गई जिसे सुवपलित है।
अतः प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध एक
तकला कार्यवाही भी जाती है।
वकील प्राची की एक तरफा बहस
सुनी गई। प्राथमिक पत्र स्वीकार
किया जाना है। प्रतिपक्षी गण को ल-
के सुना मूल बाद प्रत्येक दिनांक
जामा है। प्राथमिक पत्र के चरण
सं. - 3 में वर्णित सूचि के अन्तर्गत
प्रकार की बाधां अजिहमत नही करे।
पत्रावली के मूल अनुवाद होकर मजि
से काम होकर मूल बाद में शामिल
है।

3
7/11/19
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाड़

मुद्रांकित
दिनांक 11/11/19
11/11/19